



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 20.09.2020

1-थाना फेस-3, नोएडा पुलिस द्वारा एक शातिर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से एक चोरी की मोटर साइकिल डीलक्स व 03 मोबाइल व चाकू बरामद :

दिनांक 19.09.2020 को थाना फेस 3 पुलिस द्वारा एक शातिर अभियुक्त अभिषेक पुत्र चेताराम यादव निवासी ग्राम गढ़ी चौखन्डी सैक्टर 68 थाना फेस-3 नोएडा को सैक्टर 65 पार्क थाना क्षेत्र फेस 3 के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के कब्जे से एक चोरी की मो0सा0 डीलक्स नं0 यूपी 16 सीए 3423 जो थाना सैक्टर 24 के मु0अ0सं0 403/20 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित है व 03 मोबाइल व एक चाकू बरामद हुए है जिसके सम्बन्ध में थाना फेस 3 पर मु0अ0सं0 702/20 धारा 411/414 भादवि व बरामद चाकू के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 703/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभिषेक पुत्र चेताराम यादव निवासी ग्राम गढ़ी चौखन्डी सैक्टर 68 थाना फेस-3 नोएडा

आपराधिक इतिहास का विवरण -

- 1.मु0अ0सं0 702/20 धारा 411/414 भादवि थाना फेस 3 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर
- 2.मु0अ0सं0 703/20 धारा 4/25ए एक्ट थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- 3.मु0अ0सं0 63/18 धारा 392/411 भादवि थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- 4.मु0अ0सं0 403/20 धारा 379/411 भादवि थाना सैक्टर 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद मो0सा0 डीलक्स नं0 यूपी 16 सीए 3423

2.03 मोबाइल

1.01 चाकू



2- थाना जेवर पुलिस द्वारा दो वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार :

दिनाँक 20.09.2020 को थाना जेवर पुलिस द्वारा 02 वाँछित अभियुक्त 1. जयकिशोर पुत्र दयाराम निवासी मौहल्ला टंकीवाला कस्बा जहाँगीरपुर थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर 2. धीरज पुत्र जयकिशोर निवासी मौहल्ला टंकीवाला कस्बा जहाँगीरपुर थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर को उनके निवास स्थान मौहल्ला टंकीवाला कस्बा जहाँगीरपुर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना जेवर पर पंजीकृत मु.अ.सं. 430/2020 धारा 452,504,323,324 भादवि में वाँछित चल रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. जयकिशोर पुत्र दयाराम निवासी मौहल्ला टंकीवाला कस्बा जहाँगीरपुर थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर

2. धीरज पुत्र जयकिशोर निवासी मौहल्ला टंकीवाला कस्बा जहाँगीरपुर थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु.अ.सं. 430/2020 धारा 452,504,323,324 भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर

प्रेस विज्ञप्ति

चेतना संस्था-एचसीएल फाउंडेशन द्वारा विशेष किशोर पुलिस इकाई गौतमबुद्ध नगर के सहयोग से जूम एप्प पर किशोर न्याय तंत्र पर पुलिस प्रशिक्षण कार्यशाला का किया गया आयोजन

चेतना संस्था-एचसीएल फाउंडेशन द्वारा विशेष किशोर पुलिस इकाई गौतमबुद्ध नगर के सहयोग से जूम एप्प पर किशोर न्याय तंत्र पर पुलिस प्रशिक्षण कार्यशाला एवमं परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विशेष किशोर पुलिस इकाई गौतमबुद्ध नगर के सभी थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, एन्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट और विशेष किशोर पुलिस इकाई गौतमबुद्ध नगर की नोडल श्रीमती वृंदा शुक्ला डी० सी० पी० (महिला एवमं बाल सुरक्षा), विशेष किशोर पुलिस इकाई गौतमबुद्ध नगर इंचार्ज श्री देवेन्द्र सिंह, बाल कल्याण समिति से श्रीमती आदेश रानी एवं श्री कमल दत्ता, मेंबर ऑफ जुविनाइल जस्टिस बोर्ड श्री अनीत बघेल जी, जिला बाल संरक्षण इकाई से श्री अतुल सोनी एवं श्री जितेंद्र मौर्य, जिला स्वास्थ्य विभाग से श्री अभिषेक त्रिपाठी, श्री सुशील कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री सुधीर कुमार श्रम विभाग गौतमबुद्ध नगर, श्री संजय गुप्ता निर्देशक चेतना संस्था, श्री सत्यप्रकाश चाइल्डलाइन, गौतमबुद्ध नगर और अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं के लगभग 60 प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कार्यशाला की शुरुआत चेतना संस्था के एडवोकेसी हेड भूपेंद्र शांडिल्य ने सभी उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत एवं परिचय के साथ कार्यशाला का संचालन किया। इसके साथ ही श्रीमती वृंदा शुक्ला जी ने नोएडा में चेतना - एचसीएल फाउंडेशन के कार्यों की सहराना करते हुए एक बच्चे से जुड़े हुए मामले को सभी के समक्ष रखते हुए बताया कि चेतना संस्था के कार्यकर्ता की मदद से पुलिस उस बच्ची को उनके माता पिता से मिलवा सकी। इसके साथ ही उन्होंने प्रशिक्षण में बच्चों के अंतर्गत कानूनी और व्यवहारिक दोनो समस्याओं को खुलकर बात करने को कहा। तत्पश्चात श्री संजय गुप्ता जी ने कार्यशाला का उद्देश्य बताते हुए कहा कि कोरोना के समय बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण दोनो ही बहुत जरूरी तथ्य है जिसके लिए इस कार्यशाला एवमं परिचर्चा में सभी सरकारी एवं गैर सरकारी हितधारकों को बाल सुरक्षा एवं संरक्षण का निश्चय लेना ही पड़ेगा। जे० जे० बी० मेंबर श्री अनीत बघेल ने कहा कि पुलिस प्रशासन लॉ और आर्डर के मामलों में बहुत ही सहरानीय कार्य कर रही है परंतु बच्चों के मामलों में थोड़ी चूक हो जाती है जैसे बच्चों को जे जे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते वक्त पुलिस का उनके यूनिफार्म में ही होना या बच्चों से

सम्बंधित मामलों को देर से सूचित करना जैसे अन्य बहुत ही छोटी छोटी गलतियां होती है। इसके साथ ही उन्होंने सभी बाल कल्याण अधिकारी एवमं सहायक अधिकारी को निर्देश दिया कि जे0जे0बी0 बोर्ड के समक्ष किसी भी बच्चों को पेश करने से पहले सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट(यस0बी0आर) जरूर बनाये और उसकी जानकारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी को जरूर भेजे ताकि पुलिस की सहायता हो सके। गौतमबुद्ध नगर चाइल्डलाइन, निर्देशक श्री सत्यप्रकाश जी ने बताया कि जे0 जे0 अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख सिद्धांतों को बताया गया है अगर सभी पुलिसकर्मी उन सिद्धांतों सही से पढ़ एवमं समझकर कर कार्यों को करे तो बाल संरक्षण व सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो सकती है। इन सभी बातों को रखते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री अतुल सोनी ने बताया कि कोरोना माहमारी के समय बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर नोएडा में तीन पर्यवेक्षण सेंटर की व्यवस्था की गई थी ताकि नए बच्चों नए जगह पर क्वारंटाइन करके पुराने बच्चों से दूर रख सके। इसके साथ ही बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष श्रीमती आदेश रानी जी ने कहा कि पुलिस बहुत ही सहरानीय कार्य कर रही है परंतु बच्चों के साथ थोड़ी संवेदनशीलता के साथ काम करने का निवेदन किया ताकि जनपद में बाल हित मे एक बेहतरीन काम किया जा सकता है। कार्यशाला में बच्चों के मेडिकल जांच को लेकर भी कई समस्याओं के बारे में चर्चा हुई, जिसपर जिला स्वास्थ्य विभाग के डॉ अभिषेक त्रिपाठी जी ने सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि बच्चों के मामले में प्राथमिकता रहेंगी और कोरोना टेस्ट लगभग 3 घंटे में पॉजिटिव व नेगेटिव आने के उपरान्त ही बच्चों की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सुशील कुमार जी ने बताया कि पैरा लीगल वालंटियर और पैनल एडवोकेट का उपयोग बाल संरक्षण के लिए किया जा सकते है और बच्चों को निःशुल्क सेवा व प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। जिसके लिए उन्होंने सभी संबंधित थानों में पैरा लीगल वालंटियर की सूची भी भेजने के लिए कहा।

कार्यशाला के अंत मे श्रीमती वृंदा शुक्ला डी0 सी0 पी0 ने कहा कि बाल हित, सुरक्षा और संरक्षण के लिए केवल पुलिस विभाग ही नहीं अपितु सभी संबंधित विभाग को संवेदनशील होने की आवश्यकता है ताकि हम सभी मिलकर गौतमबुद्ध नगर को बाल संरक्षित जनपद बना सकते है। इसके साथ ही उन्होंने हर माह विशेष बाल पुलिस इकाई एवं एन्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट के साथ संबंधित विभागों के बैठक करने का निर्णय लिया ताकि बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाये। सभी परिचर्चा को विराम करते हुए श्री संजय गुप्ता जी ने ये अस्वासन दिया कि सम्बन्धित जानकारी एवमं निर्देशानुसार गौतमबुद्ध नगर जनपद के समस्त थानों में ऑब्जरवेशन होम व शेल्टर होम की जानकारी स्थान और नंबर के साथ, बाल संरक्षण पर काम कर रहे संस्था की जानकारी तथा बाल संरक्षण संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे।

